न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 121/2014/223 आर टी ए

1. सुखराज सिंह पुत्र रसालूसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. हरबंशसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सुखमन्द्रसिंह पुत्र कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सुखदर्शनसिंह पुत्र कालासिंह

5/1 लच्छो कौर पत्नि सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5/2 हरदीप सिंह पुत्र सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5/3 राजपाल कौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5/4 अमरजीत कौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5/5 लीसा कौर पुत्री सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6. मंगलसिंह पुत्र कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. गुरमीतकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. नसीबकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुखविन्द्रकौर पुत्री कालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. सरजीतकौर पुत्री कलासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. जरनैलसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. तेजकौर पत्नि महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. गोलोकौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. परमजीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15. मूर्तिकौर पत्नि गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
16. हरप्रीत कौर पुत्री गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17. शोभा सिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
18. जसवंतसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19. मखनसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
20. जसपालसिंह पुत्र सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21. गुरप्रीत कौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
22. निक्कोकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
23. केलोकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
24. तेजकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
25. गूराकौर पुत्री सरजीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांटा

बनाम

1. हरनेकसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
2. करनैलसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
3. नायबसिंह पुत्र मघरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
4. परनामसिंह पुत्र मघरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गोलेवाला तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—— रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0सं0 188/2014 अनवानी हरनेकसिंह बनाम नायबसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांट सं. 1
श्री विनोद पारीक अधिवक्ता अपीलांट सं. 2, 3, 4
श्री गुलाबसिंह अधिवक्ता अपीलांट सं. 7 ता 25
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः—16.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत पेश किया कि स्व. जगरसिंह, स्व. चगड़सिंह, स्व. मघरसिंह, स्व.नन्दसिंह पिसरान आत्मासिंह उर्फ आलासिंह के नाम तहसील टिब्बी के चक 5 एनडीआर के खाता सं. 40/38 मे कुल 26.061 है0 मे से 285

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण /रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्व. जगरसिंह, स्व. चगड़सिंह, स्व. मघरसिंह, स्व.नन्दसिंह पिसरान आत्मासिंह उर्फ आलासिंह के विधिक वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने वादपत्र मे दर्ज आराजी घरूबंटवारा मे बहिस्सा बराबर बांट रखी है एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी अनुसार घोषणा का अनुतोष चाहा गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीसं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया गया। अपीलांट के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से हित प्रभावित हो रहे है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत आधारहीन, विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2/रेस्पो0 सं. 3 व 4 को उक्त तथ्य का पूर्णतया ज्ञान था कि चक 5 एनडीआर मे स्थित 285 हिस्सा भूमि जो स्व. जगरसिंह, स्व. चगड़सिंह, स्व. मघरसिंह, स्व.नन्दसिंह पिसरान आत्मासिंह उर्फ आलासिंह द्वारा अपीलांट सं. 1 व उनके भाई क्रमशः कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीतसिंह पिसरान रसालूसिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी थी लेकिन उक्त तथ्य वादीगण/रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 ता 26 को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया तथा न्यायालय से तथ्य छिपाकर उक्त विक्रयशुदा भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा जरिये डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इसी भूमि के संबंध मे एक अन्य वाद अनवानी सुखराजसिंह बनाम भूरीदेवी आदि जैरकार है जिसमे न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध मे यथास्थिति के आदेश भी जारी किये गये है लेकिन उक्त दावा के जैरकार होने के बावजूद आनन फानन मे केवल मात्र 7 दिवस मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त भूमि के कब्जा के सबंध मे कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की जबकि उक्त भूमि को क्रय करने के उपरांत अपीलांट व उनके हकीकी भाई कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीत सिंह काबिज रहे व उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान अपीलांट सं. 2 ता 4 व रेस्पो0 सं. 6 ता 26 निरन्तर काबिज चले आ रहे है। अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही था जिसका ज्ञान अपीलांट द्वारा दिनांक 17.07.2014 को हल्का पटवारी से उक्त कृषि भूमि के संबंध मे विचाराधीन अन्य वाद पत्र हेतु जमाबंदी व इंतकाल की नकल प्राप्त करने से हुआ। तब अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पड़ताल की तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे पक्षकार नही थे इसलिए अपीलांटस यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार अपील प्रस्तुत करने स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कोई दुरभिसंधि नही है बल्कि प्रश्नगत भूमि चक 5 एनडीआर के खाता सं. 40/38 मे जगरसिंह, चगड़सिंह, मघरसिंह व नन्दसिंह पिसरान आलासिंह के नाम दर्ज 285 हिस्सा भूमि के संबंध मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने विधि अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त की है। अपीलांट का यह कथन कतई असत्य है कि जगरसिंह, चगडसिंह, मघरसिंह व नन्दसिंह ने प्रश्नगत भूमि कथित किसी विक्रय पत्र दिनांक 07.06.73 के जरिये अपीलांट सं. 1 व उसके हकीकी भाई कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीतसिंह को विक्रय की हो। कथित विक्रय पत्र स्व. जगरसिंह, चगडसिंह, मघरसिंह व नन्दसिंह द्वारा निष्पादित नही है बल्कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है उक्त बैयनामा पर विक्रेता के अंगूठा/हस्ताक्षर नही है जो फर्जी तौर पर तैयार करवाया गया है। इसलिये बैयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट का कोई सरोकार नही है। अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि पर अपना व अपने हकीकी भाईयों व उनके वारिसों का कब्जा काश्त होने का मिथ्या कथन किया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का निष्पादन हो चुका है। अपीलांटस का यह कथन कि अपीलांटस को पक्षकार नही बनाया गया है, तो वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के पूर्वज स्व. जगरसिंह, चगडसिंह, मघरसिंह व नन्दसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड थी जो फौत हो चुके है जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा ही घोषणा का डिक्री प्राप्त की गई ऐसी स्थिति मे अपीलांट ना तो आवश्यक पक्षकार थे और ना ही प्रभावित पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई जो सही है। अतः अपील अपीलांटा खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

6. पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा पेश किया। जो अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं 3 व 4 के पक्ष मे डिक्री किया गया जबकि चक 5 एनडीआर मे स्थित 285 हिस्सा भूमि जो स्व. जगरसिंह, स्व. चगड़सिंह, स्व. मघरसिंह, स्व.नन्दसिंह पिसरान आत्मासिंह उर्फ आलासिंह द्वारा अपीलांट सं. 1 व उनके भाई क्रमशः कालासिंह, भूरासिंह, महेन्द्रसिंह, गुरचरणसिंह व सरजीतसिंह पिसरान रसालूसिंह को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.06.1973 को विक्रय कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये उक्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं 3 व 4 के नाम घोषणा कर दी गई। वादग्रस्त भूमि अपीलांटा की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा भूमि है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा मे आवश्यक पक्षकार थे एवं अहम जवाबदेही रखते है।जहां तक रेस्पो0 का यह तर्क कि अपीलांट के पक्ष मे हुए निष्पादित उपरोक्त बैयनामे फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है मानने योग्य नही है क्योंकि उक्त दस्तावेज बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको निरस्त करने की अधिकारिता सक्षम सिविल न्यायालय को है तथा रेस्पो0 द्वारा आज तक उक्त बैयनामा फर्जी होने संबंधी कोई कार्यवाही नही की गई। उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रभावित पक्षकार को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अपीलांटस को पक्षकार के रूप मे संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official